एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 619/2005

अपीलार्थी[अभिरक्षा में]:

शिव कुमार आत्मज सिंहजी नायक, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी पचपेड़ी, पुलिस चौकी पचपेड़ी, थाना पचपेड़ी, जिला बिलासपुर [छ.ग.]।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374[2] के अंतर्गत दाण्डिक अपील।</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 619/2005

शिव कुमार

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 27.03.2006 को आदेशार्थ सूचीबद्ध करें।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 619/2005

शिव कुमार

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य।

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री एन.के. चटर्जी, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

श्री यू.के.एस. चंदेल, राज्य हेतु पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 27 मार्च 2006 को पारित किया गया)

यह अपील श्री ए.के. प्रधान, विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स), बिलासपुर द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण संख्या 29/2004 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2005 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 20(ख)(**ii**)(ख) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया गया था, और

अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि दिनांक 8.6.2004 को लगभग दोपहर 3.30 बजे, पुलिस चौकी पचपेड़ी, थाना मस्तूरी के उप-निरीक्षक एन.एस. धृतलहरे (अभि.सा. 2) को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी के पास पचपेड़ी नायक टांड मोहल्ले स्थित उसके निवास पर बिक्री के उद्देश्य से गांजा है । उन्होंने उक्त सूचना दर्ज की और साक्षियों श्यामलाल(अभि.सा. 6) और हरप्रसाद के साथ अपीलार्थी के घर की ओर प्रस्थान किया। अपीलार्थी के घर की तलाशी शाम 5.00 बजे ली गई और एक कमरे में प्लास्टिक की सीमेंट की बोरी के अंदर रखा हुआ 5 किलोग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। वस्तुओं के वजन करने पर पदार्थ का भार 5 किलोग्राम पाया गया। 25-25 ग्राम के दो नमूने लिए गए और उन्हें सीलबंद किया गया। शेष पदार्थ को भी जब्त कर लिया गया। उपरोक्त वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मुख्य आरक्षक अमृतलाल (अभि.सा. 5) को सौंप दिया गया और प्रदर्श पी.27-ए के अनुसार मालखाना में रखा गया। दिनांक 10.6.2004 को नमूनों में से एक को आरक्षक विजय कुमार (अभि.सा. 2) के माध्यम से न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्रदर्श पी.28 दिनांक 24.07.2004 के अनुसार, एफ.एस.एल. ने अभिमत दिया कि नमूना पैकेट में गांजा था। जांच पूरी होने के बाद अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी ने दोष स्वीकार नहीं किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया और प्रतिवाद में राज कुमार (बचा.सा. 1) का साक्ष्य प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने कुल 6 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कंडिका 1 में वर्णित अनुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. चटर्जी ने तर्क दिया है कि शेष नमूना पैकेट और अन्य पदार्थ जिन्हें अपीलार्थी से जब्त और सीलबंद किया गया बताया गया था, उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जैसा कि आदेश पत्र दिनांक 17.8.2004 से स्पष्ट था। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.27-ए यह नहीं दर्शाता कि दो नमूना पैकेट या शेष पदार्थ सीलबंद अवस्था में मालखाना में सौंपे गए थे। अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ था क्योंकि अभियोजन द्वारा यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि पुलिस चौकी पचपेड़ी के थाना प्रभारी ने दो नमूना पैकेटों या शेष पदार्थ पर अपनी सील लगाई थी। तुलना के लिए सील का नमूना भी एफ.एस.एल. को नहीं भेजा गया था। स्वतंत्र साक्षी श्यामलाल (अभि.सा. 6) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और अन्य साक्षी हरप्रसाद का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया। अंत में, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया कि गांजा अपीलार्थी के अनन्य भानपूर्ण कब्जे में था, क्योंकि पचपेड़ी के प्रभारी सरपंच के प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.29 से स्पष्ट रूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से पता चला है कि जिस घर से गांजा जब्त किया जाना बताया गया था, वह अपीलार्थी का पैतृक घर था जिसमें वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता था। इस आधार पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि विचारण न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दण्ड को अपास्त किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री यू.के.एस. चंदेल ने तर्क दिया कि उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे (अभि.सा. 2) द्वारा अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 55 का प्रावधान निर्देशात्मक प्रकृति का है और इसका अनुपालन न होना अपने आप में अभियोजन को दूषित नहीं करता है। उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे के परिसाक्ष्य और एफ.एस.एल. प्रतिवेदन प्रदर्श पी.28 पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि और आदिष्ट दण्ड सुसंगत थे और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का परिशीलन किया है। अधिनियम की धारा 20(ख)(**ii**)(ख) के अंतर्गत किसी प्रकरण में यह अभियोजन का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह किसी भी संदेह से परे यह प्रमाणित करे कि जिस पदार्थ का परीक्षण एफ.एस.एल. द्वारा किया गया था, वह वही था जिसे अपीलार्थी से जब्त किया गया था और उसके साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं थी। जब्ती के स्वतंत्र साक्षी श्यामलाल (अभि.सा. 6) ने कथन किया कि सभी दस्तावेजों पर उसके

हस्ताक्षर पुलिस थाना में लिए गए थे और पुलिस द्वारा उसे गांजा जैसा पदार्थ दिखाया गया था। उसने विशेष रूप से इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी से गांजा जैसा पदार्थ जब्त किया गया था। हरप्रसाद, एक अन्य स्वतंत्र साक्षी, यद्यपि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन सहायक लोक अभियोजक द्वारा दिए गए विचारण कार्यक्रम में उसे शामिल भी नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप उसका परीक्षण नहीं कराया गया। उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे (अभि.सा. 2) का परिसाक्ष्य कि उन्होंने 25-25 ग्राम के दो नमूनों और शेष गांजे को सीलबंद किया था, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.27-ए द्वारा स्पष्ट रूप से खंडित होता है, जो यह नहीं दर्शाता कि या तो दो नमूने या शेष 4 किलोग्राम और 950 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ मालखाना में सीलबंद अवस्था में सौंपा गया था। नंदन सिंह, जिसकी किराना दुकान से तराजू और बाट मंगाए गए थे, उसका भी परीक्षण नहीं कराया गया। जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.17 में भी उन दो नमूनों को सील करने के लिए उपयोग की गई बताई गई सील का कोई सुपाठ्य निशान नहीं है। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन प्रदर्श पी.28 में परीक्षण के लिए भेजे गए पैकेट पर पाई गई सील का एक चित्र बना है। यह नहीं दर्शाता कि वह किसी पुलिस थाना या किसी विशेष पुलिस अधिकारी की सील थी। इस तथ्य को देखते हुए कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.27-ए यह नहीं दर्शाता कि वस्तुएं सीलबंद अवस्था में सौंपी गई थीं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूने के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विचारण न्यायालय का आदेश पत्र दिनांक 17.8.2004 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शेष नमूना पैकेट और वह पदार्थ जिसे सीलबंद किया जाना बताया गया था, उसे 'मुद्दे माल' के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। यदि इसे प्रस्तुत किया गया होता, तो इससे विचारण न्यायालय को यह सत्यापित करने का अवसर मिलता कि क्या वे सीलबंद थे और एफ.एस.एल. के प्रतिवेदन में बनाए गए सील के चित्र से उसकी तुलना की जा सकती थी। विचारण न्यायालय में 'मुद्दे माल' और शेष नमूना पैकेट प्रस्तुत न करने के कारण, अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी साक्ष्य नहीं है कि पचपेड़ी चौकी के थाना प्रभारी ने इन दो नमूना पैकेटों और शेष गांजे जैसे पदार्थ पर अपनी सील लगाई थी। यदि उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे स्वयं थाना प्रभारी थे, तो यह उनका दायित्व था कि वे नमूना पैकेटों पर पुलिस चौकी पचपेड़ी की सील लगाते। जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.17 पर लगाई गई सील का नमूना कोई आधिकारिक सील प्रतीत नहीं होता है। यह कोई निजी सील प्रतीत होती है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 55 का अनुपालन न होने के कारण, अधिनियम की धारा 20(ख)(**ii**)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत स्थिर नहीं रखी जा सकती।

9. किसी आवासीय घर की तलाशी पर आधारित धारा 20(ख)(**ii**)(ख) के प्रकरण में, अभियोजन को यह दिखाने के लिए पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि दण्डाधिकारी से तलाशी वारंट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और गांजा अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे से बरामद किया गया था। ग्राम पंचायत पचपेड़ी के सरपंच द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.29 दर्शाता है कि जिस घर से गांजा जब्त किया जाना बताया गया है, वह अपीलार्थी का पैतृक घर है जिसमें अपीलार्थी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता था। उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे ने अपने परिसाक्ष्य की कंडिका 8 में कथन किया है कि उन्होंने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया था। पचपेड़ी की कार्यवाहक सरपंच हारोबाई (अभि.सा. 4) ने अपने परिसाक्ष्य में पुलिस को कोई प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया है और कथन किया है कि उन्होंने केवल प्रमाण पत्र पर अंगूठे का निशान लगाया था। जिन स्वतंत्र साक्षियों ने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उनका अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया। उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे (अभि.सा. 2) ने यह भी अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि गांजा अपीलार्थी के शयनकक्ष से बरामद किया गया था जैसा कि घटना स्थल के नक्शे प्रदर्श पी.18 या जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.12 में उल्लेख किया गया था। एन.एल. धृतलहरे (अभि.सा. 2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि गुप्त सूचना दर्ज करने, तलाशी वारंट प्राप्त न करने के कारणों को दर्ज करने आदि से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने के बाद अपीलार्थी को पुलिस थाना बुलाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.21 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलार्थी का घर लगभग 1 फर्लांग की दूरी पर स्थित है। यह समझ से परे है कि अपीलार्थी को पुलिस थाना क्यों बुलाया गया था। यदि अपीलार्थी को बुलाया गया था और वह पचपेड़ी चौकी पर उपस्थित था, तो उसके द्वारा तलाशी को विफल करने के लिए अपने घर से गांजा हटाने की कोई संभावना नहीं थी। दस्तावेज प्रदर्श पी.1, जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने घर से गांजा हटाकर तलाशी को विफल करने की संभावना के कारण दण्डाधिकारी से तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया गया था और एन.एल. धृतलहरे तुरंत मौके पर पहुँचे थे, इस प्रकार संदिग्ध हो जाता है क्योंकि अपीलार्थी और साक्षियों को पुलिस थाना ही बुलाया गया था। इन परिस्थितियों में, श्यामलाल (अभि.सा. 6) का परिसाक्ष्य सत्य प्रतीत होता है कि पूरी कार्यवाही पुलिस थाना में की गई थी न कि अपीलार्थी के घर पर। अपीलार्थी एक अनपढ़ ग्रामीण है और उसके अंगूठे के निशान तलाशी और जब्ती के दस्तावेजों पर पुलिस थाना में ही लिए गए थे। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है कि घर से जब्त किया जाना बताया गया गांजा जैसा पदार्थ अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित बिंदु उभर कर सामने आते हैं:

a) स्वतंत्र साक्षी श्यामलाल (अभि.सा. 6) और हारोबाई (अभि.सा. 4) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

b) स्वतंत्र साक्षी हरप्रसाद, यद्यपि नामित था, उसे विचारण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण नहीं कराया गया।

c) मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.27-ए स्पष्ट रूप से उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे के परिसाक्ष्य का खंडन करता है कि दो नमूने और शेष पदार्थ उनके द्वारा सीलबंद किए गए थे।

d) अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है।

e) जब्त की गई वस्तुएं और शेष नमूना पैकेट अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है।

f) इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एफ.एस.एल. द्वारा परीक्षित पदार्थ के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है।

g) यह संदेह के घेरे से परे स्थापित नहीं होता है कि पदार्थ अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे से जब्त किया गया था।

h) इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी को बुलाने के बाद, उप-निरीक्षक एन.एल. धृतलहरे ने पचपेड़ी चौकी पर ही तलाशी और जब्ती ज्ञापन तथा अन्य सभी दस्तावेज तैयार किए और अपीलार्थी के घर की तलाशी लेने नहीं गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अधिनियम की धारा 20(ख)(**ii**)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत आदिष्ट दण्ड अपास्त किए जाने योग्य है।

11. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है और अधिनियम की धारा 20(ख)(**ii**)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत दिया गया दण्ड अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य

प्रकरण में वह वांछित न हो, तो उसे तत्काल मुक्त किया जाये। अर्थदण्ड, यदि संदत्त किया गया हो, वापस किया जाये।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur